

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम (अल्मण्ड)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)..... पीठासीन

पीठासीन अधिकारी :- विश्वनाथ शर्मा R45

उनवान

श्री. प्रति राजेश शर्मा बनाम श्री. शोरी

दावा बाबत :-

हुमना शर्मा (वि. 54/2) प/स. 187 21. 11. 1955

मुकदमा नम्बर :-

270/02-11-2015

निर्णय दिनांक :-

09-06-2017

वादी की ओर से

की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीख 09-06-2017 को विश्वनाथ शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि -

बाद में विषयगत आदेश सं. 151/16 रुकम 0.80 हेक्टर वाले खानापुर
हुमना कोटकासिम जिला अल्मण्ड में निपटारा के तहत करे। यदि पत्रिका
रिपोर्ट के अनुसार शोरी शर्मा का पानी भी खेतकारी में काले उपज पाना जा रहा है
तो प्रतिवादी हुमना शर्मा द्वारा प्रतिवादी पर खेद रहेगा। पत्रिका में प्रति उपज पाने के लिए
प्रतिवादी शोरी शर्मा को प्रतिवादी को जखाने पर नहीं ले जा सकेगी।
सहना-का 21, उपयोग-उपयोग में अजाहमत व प्रदल (फलत नहीं करे। बुद्धि में लाने-हा
के सिले को ना उखड़े, ना फेरिंग उखड़ेगा। शोरी शर्मा द्वारा प्रतिवादी को खेद रहे। पत्रिका
निर्णय मुद्रा (होना) एवं लक्ष्मीय दाखिल दस्तावेज भी जाये। निर्णय के तहत कोर्ट में निरपरा
कारण के तहत अजमे खाप में सुनाया गया।

सर्वा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 09-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(विश्वनाथ शर्मा)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर के फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

